



ए.एफ.आर.

सुरक्षित

2026:AHC:32236-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक अपील संख्या - 2903 वर्ष 2020

शकील अहमद एवं अन्य अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रत्यर्थी (गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता : अरविंद कुमार श्रीवास्तव, आर.पी.एस. चौहान, राजीव सिसोदिया, शैलेश कुमार श्रीवास्तव, श्याम शंकर पांडे

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 43

माननीय न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय

माननीय न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी

(माननीय न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी द्वारा सुनाया गया)

यह आपराधिक अपील बिजनौर के चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम) द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 593/2015 में दिनांक 29.09.2018/03.10.2018 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जो मुकदमा अपराध संख्या 272/2015 से संबंधित है और भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी (वैकल्पिक रूप से 302/34) तथा दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत दर्ज है। यह मुकदमा पुलिस थाना चांदपुर, जिला बिजनौर में दर्ज है। विवादित आदेश द्वारा, माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आरोपी-अपीलार्थीगण शकील अहमद और शेरबाज़ उर्फ शादाब को भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी के तहत आजीवन कारावास और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत दो वर्ष के कारावास और 10000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है, और जुर्माना न भरने पर तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



2. इस मामले की संक्षिप्त तथ्य यह है कि बिजनौर जिले के चांदपुर पुलिस थाना में सूचनादाता नसीमा (अभियोजन साक्षी-1) द्वारा दी गई प्राथमिकी प्रदर्श क-1 के आधार पर, 24.04.2015 को गुलशाना, शकील अहमद, शहजाद, कुमारी रोशन और शादाब के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-11 दर्ज की गई। ये सभी मृतका की क्रमशः सास, ससुर, देवर, ननद और पति हैं। आरोप यह था कि उनकी बेटी की शादी 14.12.2014 को शेरबाज उर्फ शादाब से हुई थी। शादी के बाद, ससुराल वाले उसे कम दहेज लाने के लिए ताने मारते थे, दामाद मोटरसाइकिल की मांग करता था और परिवार के बाकी सदस्य दो लाख रुपये की मांग करते थे। 9 अप्रैल 2015 को रात करीब 10:30 बजे शेरबाज ने अपनी बेटी पर मिट्टी का तेल डाल दिया। उसकी सास और ननद कह रही थीं कि अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने के कारण उसे जलाकर मार डालो। इसके बाद उसके देवर शहजाद और ससुर शकील ने माचिस की तीली से आग लगाई और उसे उसकी बेटी पर फेंक दिया। सूचनादाता की बेटी बुरी तरह झुलस गई थी। सूचनादाता की बेटी की मृत्यु के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

3. घटना की सूचना मिलने पर जांच अधिकारी महेश चंद्र अत्री (अभियोजन साक्षी-11) घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। इससे पहले, मामले की जांच क्षेत्राधिकारी शैलेंद्र राव ने की थी। महेश चंद्र अत्री (अभियोजन साक्षी -11) ने 25.04.2015 को सूचनादाता नसीमा का बयान दर्ज किया। उन्होंने सूचनादाता नसीमा (अभियोजन साक्षी -1) द्वारा बताए गए स्थान का नक्शा नजरी प्रदर्श क-14 भी तैयार किया। इसके बाद जांच अधिकारी ने रेशमा और आसिफ उर्फ आसिफ के बयान दर्ज किए। जांच अधिकारी ने अन्य औपचारिक पुलिस दस्तावेज भी तैयार किए और उप निरीक्षक कृपाल सिंह (अभियोजन साक्षी 8) के माध्यम से मृतका के शव का पंचायतनामा भी तैयार किया। पंचायतनामा के बाद मृतका के शव को शव परीक्षण के लिए भेजा गया। अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज करने के बाद, केवल आरोपी-अपीलार्थीगण शकील अहमद और शेरबाज उर्फ शादाब के खिलाफ धारा 304बी भारतीय दंड संहिता और धारा 3/4 दहेज निषेध अधिनियम के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया। प्राथमिकी में आरोपी के रूप में नामित अन्य व्यक्तियों को पुलिस ने बरी कर दिया। पंचायतनामा के बाद मृतका के शव को शव परीक्षण के लिए भेजा गया। अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज करने के बाद, केवल आरोपी-अपीलार्थीगण शकील अहमद और शेरबाज उर्फ शादाब के खिलाफ धारा 304बी भारतीय दंड संहिता और धारा 3/4 दहेज निषेध अधिनियम के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया। प्राथमिकी में आरोपी के रूप में नामित अन्य व्यक्तियों को पुलिस ने दोषमुक्त कर दिया। चिकित्सक रवि प्रकाश (अभियोजन साक्षी-6) ने मृतका नाज़िया का शव परीक्षण किया और शव परीक्षण विवरण प्रदर्श क-10 तैयार की। प्रदर्श क-10 के

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अनुसार, चिकित्सक रवि प्रकाश (अभियोजन साक्षी-6) को उसके शरीर पर निम्नलिखित जलने के घाव मिले।

“चेहरे, गर्दन के आगे और पीछे के हिस्से, दोनों ऊपरी अंगों दाएं और बाएं, स्तन और पेट के आगे और पीछे के हिस्से, नितंबों, जननांगों, बाएं जांघ के आगे और पीछे के हिस्से, और दाएं जांघ के आगे से घुटने तक के हिस्से पर सतही से लेकर गहरे जलने के निशान मौजूद हैं। काली भूरी त्वचा मौजूद है। जले हुए घाव में संक्रमित मवाद मौजूद है, जिसका रंग सफ़ेद-पीला है। दाएं और बाएं दोनों हाथों में खरोंच के निशान मौजूद हैं। लालिमा की एक रेखा मौजूद है। खोपड़ी, सिर, झुलसी हुई त्वचा और चेहरे पर बालों के निशान मौजूद हैं। लगभग 80% हिस्सा जल गया है।”

4. चिकित्सक रवि प्रकाश (अभियोजन साक्षी- 6) द्वारा बताए गए मृतका की मृत्यु का कारण मृत्यु से पहले लगी जलने की चोटों के कारण सदमा और सेप्टीसीमिया था। शव परीक्षण विवरण के अनुसार, मृतका लगभग 80% जल गई थी।

5. चूंकि यह मुकदमा विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा ही चलाया जा सकता था, इसलिए संबंधित मजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवाई के लिए इसे सत्र न्यायालय को सौंप दिया।

6. अभियुक्त-अपीलार्थीगण शकील अहमद और शेरबाज़ उर्फ़ शादाब के विरुद्ध, माननीय सत्र न्यायाधीश द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी के तहत और वैकल्पिक रूप से धारा 302 के साथ धारा 34 भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप तय किए गए थे। विचारण न्यायालय ने आरोपी-अपीलार्थीगण के खिलाफ दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत आरोप भी तय किए थे। आरोपी-अपीलार्थीगण ने आरोपों से इनकार किया और मुकदमे की मांग की।

7. अभियोजन पक्ष ने अपने मुकदमे के समर्थन में कम से कम 11 गवाह पेश किये; सूचनादाता नसीमा (अभियोजन साक्षी-1), रेशमा (अभियोजन साक्षी-2), आसिफ उर्फ़ आरिफ (अभियोजन साक्षी-3), देवराज सिंह (अभियोजन साक्षी-4), ओम प्रकाश यादव (अभियोजन साक्षी-5), चिकित्सक रवि प्रकाश (अभियोजन साक्षी-6), ओंकार सिंह (अभियोजन साक्षी-7), कृपाल सिंह (अभियोजन साक्षी -8), चिकित्सक मधुमिता त्रिपाठी (अभियोजन साक्षी-9), इंद्रेश सिंह चाहर (अभियोजन साक्षी-10) और महेश चंद्र अत्री (अभियोजन साक्षी-11)। इन सबूतों के अलावा, अभियोजन पक्ष ने दस्तावेजी सबूतों पर भी भरोसा किया, जैसे कि प्रदर्श क1 से प्रदर्श क15 तक।

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. विचारण न्यायालय में, अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य दर्ज करने के बाद, अभियुक्तों के बयान धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज किए गए। अभियुक्त-अपीलार्थीगण ने धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपने बयानों में आरोपों से इनकार किया। उन्होंने यह भी बताया है कि खाना पकाते समय चूल्हा फट गया, जिसके परिणामस्वरूप मृतका के कपड़ों में आग लग गई। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। आरोपी-अपीलार्थीगण ने अपने बचाव के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया है।

9. विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद सभी मौखिक और दस्तावेजी सबूतों पर विचार करने के बाद, आरोपी-अपीलार्थीगण को कथित अपराध और मृतका नाज़िया की मौत के लिए दोषी ठहराया। न्यायालय ने दोनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी के तहत उम्रकैद और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत दो साल की सज़ा और हर आरोपी पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने की स्थिति में, दोनों आरोपी-अपीलार्थीगण को तीन महीने की अतिरिक्त सज़ा काटनी होगी।

10. हमने अभियुक्त-अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ताओं और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के तर्क सुने हैं, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का अध्ययन किया है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि आदेश का भी अवलोकन किया है।

11. अभियुक्त-अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने इस आपराधिक अपील के समर्थन में तर्क दिया है कि दोनों पक्ष समाज के कमजोर वर्गों से संबंध रखते हैं। अभियुक्त-अपीलार्थीगण ने मृतका या उसके परिवार के सदस्यों से दहेज की कोई मांग नहीं की थी। मोटरसाइकिल और 2 लाख रुपये की कोई मांग नहीं की गई थी। घटना वाले दिन, यानी 09.04.2015 को, मृतका नाज़िया चूल्हे पर खाना बना रही थी और खाना बनाते समय चूल्हा फट गया, जिससे मृतका के कपड़ों में आग लग गई और वह बुरी तरह जल गई। आरोपी-अपीलार्थीगण ने उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। यह भी बताया गया है कि मृतका नाज़िया को शादी के सात साल के भीतर उसके ससुराल में 80% जलने की चोटें आई थीं, लेकिन आरोपी-अपीलार्थीगण ने न तो मिट्टी का तेल डाला था और न ही माचिस से आग लगाई थी। अभियोजन पक्ष के गवाहों, जिनमें नसीमा (अभियोजन साक्षी-1), रेशमा (अभियोजन साक्षी-2) और आसिफ उर्फ आरिफ (अभियोजन साक्षी-3) शामिल हैं, ने अभियोजन पक्ष के बयान का समर्थन नहीं किया है। हालांकि, विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के उपरोक्त गवाहों के साक्ष्य और मृत्यु पूर्व दिए गए बयान पर गलत तरीके से भरोसा करते हुए, आरोपी-अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी के तहत दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



कारावास की सजा सुनाई, जो कि अत्यधिक है। यह भी निवेदन किया गया है कि पक्षकार समाज के अत्यंत गरीब वर्गों से संबंध रखते हैं और मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। आगे यह निवेदन किया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थीगण को दी गई आजीवन कारावास की सजा अत्यधिक है। अभियुक्त-अपीलार्थी संख्या-1 शकील 13.08.2015 से और अपीलार्थी संख्या-2 10.10.2015 से जेल में बंद हैं, इस प्रकार दोनों अभियुक्त-अपीलार्थी दस वर्ष से अधिक समय से जेल में हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी के तहत आजीवन कारावास देना अनिवार्य नहीं है। धारा 304बी में न्यायालय को कम से कम सात वर्ष की सजा देने का विकल्प दिया गया है। उपरोक्त तर्कों के आधार पर, आरोपी-अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दोनों आरोपी-अपीलार्थी दस वर्ष से अधिक समय से जेल में बंद हैं, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी के तहत निर्धारित न्यूनतम सजा से कहीं अधिक है। ऊपर बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए, यह भी अनुरोध किया जाता है कि आरोपी-अपीलार्थीगण की सजा को घटाकर उतनी ही जेल की सजा कर दिया जाए, जितनी वे पहले ही काट चुके हैं।

12. इसके विपरीत राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आरोपी-अपीलार्थीगण ने अपने घर में जघन्य अपराध किया। मृतका नाज़िया, आरोपी-अपीलार्थी संख्या-2, शेरबाज़ उर्फ़ शादाब की पत्नी और आरोपी-अपीलार्थी संख्या-1, शकील अहमद की बहू थी। विवाह के दो वर्ष के भीतर ही उसे उसके ससुराल में जला दिया गया था। उसका शरीर 80% तक जल गया था, जिसके कारण सेप्टीसीमिया से उसकी मृत्यु हो गई। राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने यह भी बताया कि आरोपी-अपीलार्थीगण ने मृतका नाज़िया से न केवल 2 लाख रुपये दहेज और एक मोटरसाइकिल की मांग की, बल्कि जब नाज़िया और उसके माता-पिता ने उनकी मांग पूरी नहीं की, तो उन्होंने उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी, जिससे उसका शरीर 80% तक जल गया और अस्पताल में इलाज के दौरान सेप्टीसीमिया से उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने आगे कहा कि विचारण न्यायालय ने उचित परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त-अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी के तहत अधिकतम आजीवन कारावास की सजा दी है। अभियुक्त-अपीलार्थीगण ने अपने आपराधिक कृत्य से 22 वर्षीय युवती की जान ले ली, इसलिए अभियुक्त-अपीलार्थी आजीवन कारावास की अधिकतम सजा के पात्र थे, जो विचारण न्यायालय ने उन्हें सही ढंग से दी। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क और निष्कर्ष में किसी प्रकार की विकृति या साक्ष्य का गलत विश्लेषण नहीं है, इसलिए आरोपी-अपीलार्थीगण द्वारा दायर आपराधिक अपील में कोई दम नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



13. अभियोजन पक्ष के गवाहों, सूचनादाता नसीमा (अभियोजन साक्षी-1), रेशमा (अभियोजन साक्षी-2) और आसिफ उर्फ आरिफ (अभियोजन साक्षी-3) ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है, क्योंकि वे अपने बयान दर्ज करने के दौरान मुकर गए थे। हालांकि, अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्यों के अध्ययन से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि मृतका नाज़िया की मृत्यु उसके ससुराल में अप्राकृतिक परिस्थितियों में हुई, उसके शरीर पर 80% जलने के घाव थे। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष के गवाहों, नसीमा (अभियोजन साक्षी-1), रेशमा (अभियोजन साक्षी-2) और आसिफ उर्फ आरिफ (अभियोजन साक्षी-3) के साक्ष्यों से अप्राकृतिक मृत्यु का तथ्य सिद्ध हो गया है।

14. विचारण न्यायालय ने मुख्य रूप से मृतका नाज़िया के मृत्यु पूर्व बयान प्रदर्श क-3 देवराज सिंह (अभियोजन साक्षी-4) के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए, जिन्होंने मृतका नाज़िया का मृत्यु पूर्व बयान दर्ज किया था, और साथ ही चिकित्सक मधुमिता त्रिपाठी (अभियोजन साक्षी-9) के साक्ष्य पर भी भरोसा करते हुए, जिन्होंने पीड़िता नाज़िया के मृत्यु पूर्व बयान को दर्ज करने से पहले और बाद में प्रमाण पत्र दिया था, आरोपी-अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत दोषी ठहराया। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर भी विचार किया कि 22 वर्षीय एक युवती अपने ससुराल में जल गई थी और उसका शरीर 80% तक झुलस गया था, और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। विचारण न्यायालय ने मृत्यु पूर्व बयान (प्रदर्श क-3) और देवराज सिंह (अभियोजन साक्षी-4) तथा चिकित्सक मधुमिता त्रिपाठी (अभियोजन साक्षी-9) के साक्ष्यों पर भरोसा करते हुए पाया कि आरोपी-अपीलार्थीगण के घर में अप्राकृतिक और हत्या का मामला हुआ था, इसलिए आरोपी-अपीलार्थीगण पर यह स्पष्ट करने का भार है कि मृतका नाज़िया के शरीर पर 80% तक जलने की चोट किन परिस्थितियों में आई। आरोपी-अपीलार्थी मृतका के शरीर पर जलने के निशानों के बारे में कोई मौखिक या दस्तावेज़ी सबूत पेश करके स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। कानून के अनुसार, यह आरोपी-अपीलार्थीगण की ज़िम्मेदारी थी कि वे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने बयान में इस संबंध में सबूत पेश करके इस तथ्य को स्पष्ट करें।

15. अभिलेख से पता चलता है कि सूचनादाता और आरोपी-अपीलार्थीगण के परिवार समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित हैं और मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। कानून का यह स्थापित सिद्धांत है कि सज़ा ऐसी होनी चाहिए जो न तो बहुत हल्की हो और न ही बहुत कठोर या सख्त। दोनों पक्ष समाज के कमजोर वर्गों से संबंध रखते हैं और दिहाड़ी मजदूर हैं। उपरोक्त सामाजिक स्थिति और अभियुक्त-अपीलार्थीगण के साथ-साथ अभियोजन पक्ष की आर्थिक क्षमता को देखते हुए, हम पाते हैं कि

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



विचारण न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी के तहत दी गई आजीवन कारावास की सजा बहुत कठोर और सख्त है।

16. माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने **हेम चंद बनाम हरियाणा राज्य, (1994)**

6 एससीसी 727 के मामले में, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी (दहेज हत्या) के अंतर्गत भी एक मुकदमा था, परिच्छेद 7 में यह अभिनिर्धारित किया कि;

“भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी पढ़ने से पता चलता है कि जब यह सवाल उठता है कि क्या किसी व्यक्ति ने किसी महिला की दहेज हत्या का अपराध किया है, तो यह दिखाना ही आवश्यक है कि विवाह के सात वर्षों के भीतर हुई उसकी अप्राकृतिक मृत्यु से कुछ समय पहले, मृतका को दहेज की मांग के लिए या उससे संबंधित किसी कारणवश ऐसे व्यक्ति द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था। यदि ऐसा सिद्ध हो जाता है तो न्यायालय यह मान लेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज हत्या की है। इसी प्रकार साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी के अंतर्गत दहेज हत्या के संबंध में अनुमान लगाया जाता है। व्यावहारिक रूप से यही अनुमान भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी में भी शामिल किया गया है। अतः यह देखा जा सकता है कि चाहे आरोपी का मृत्यु से कोई प्रत्यक्ष संबंध हो या न हो, यदि धारा में उल्लिखित अन्य शर्तें पूरी होती हैं तो उसे दहेज हत्या का दोषी माना जाएगा। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने यह सिद्ध कर दिया है कि मृतका की मृत्यु अप्राकृतिक थी, लेकिन आरोपी को मृत्यु से जोड़ने वाला कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोप नहीं लगाया गया है। इसलिए, अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने यह साबित कर दिया है कि यह एक अप्राकृतिक मृत्यु थी, जिस स्थिति में भी भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी लागू होगी। लेकिन इस पहलू, यानी मृत्यु से अभियुक्त का सीधा संबंध न होने को, अभियुक्त को दी जाने वाली सजा का निर्धारण करते समय निश्चित रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए।

भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी केवल अनुमान लगाती है और यह निर्धारित करती है कि न्यूनतम सजा सात वर्ष होनी चाहिए, लेकिन इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। इसलिए, आजीवन कारावास जैसी चरम सजा दुर्लभ मामलों में ही दी जानी चाहिए, न कि हर मामले में।

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



17. अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों से यह स्पष्ट है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी के तहत दहेज हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा केवल दुर्लभतम मामलों में ही दी जानी चाहिए, जहां यह आरोप लगाया गया हो कि दुल्हन की हत्या क्रूर और निर्मम तरीके से की गई थी और जहां कोई भी बचावकारी परिस्थितियां मौजूद न हों। हालांकि, विचारण न्यायालय ने आरोपी-अपीलार्थीगण को दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत दोषी ठहराया और उन्हें दो साल के कारावास और प्रत्येक आरोपी पर 10000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की स्थिति में, दोनों आरोपी-अपीलार्थीगण को तीन महीने के अतिरिक्त कारावास भुगतने का निर्देश दिया गया।

18. इस मामले में, हमने पाया कि आरोपी-अपीलार्थीगण का बचाव यह था कि मृतका द्वारा चूल्हे पर खाना पकाते समय चूल्हा फट गया और मृतका आग की चपेट में आ गई तथा उसके शरीर पर झुलसने के घाव हो गए।

19. हमारा मानना है कि सजा की मात्रा उचित होनी चाहिए। यह न तो बहुत हल्की होनी चाहिए और न ही बहुत कठोर। सजा सुनाते समय, न्यायालय को मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों का समग्र रूप से आकलन करना चाहिए, जिसमें दोनों पक्षों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति भी शामिल हो, ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके और समाज को यह स्पष्ट संदेश दिया जा सके कि कोई भी व्यक्ति जघन्य अपराध करने का साहस न करे।

20. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि अभिलेखों से पता चलता है, हम दोषसिद्धि के आदेश को बरकरार रखने के लिए इच्छुक हैं, जिसमें इस संबंध में दिए गए निष्कर्ष और तर्क को भी शामिल किया गया है। हालांकि, हम विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई बदलाव किए बिना, आरोपी-अपीलार्थीगण द्वारा पहले से भुगती गई अवधि के लिए आजीवन कारावास की सजा को कम करने के लिए इच्छुक हैं।

21. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हमारा यह सुविचारित मत है कि विचारण न्यायालय द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा को घटाकर दस वर्ष की कैद में बदलना न्यायोचित होगा।

22. चूंकि आरोपी-अपीलार्थीगण ने पहले ही 10 वर्ष से अधिक का समय जेल में बिता लिया है, इसलिए हम दोनों आरोपी-अपीलार्थीगण की सजा को उनके द्वारा पहले से भुगती गई अवधि के बराबर कम कर देते हैं। अतः आरोपी-अपीलार्थीगण द्वारा दायर आपराधिक अपील आंशिक रूप से स्वीकार किए जाने योग्य है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



23. आपराधिक अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी के तहत दी गई आजीवन कारावास की सजा को उनके द्वारा पहले से भुगती गई अवधि तक कम कर दिया जाता है।

24. अभियुक्त-अपीलार्थीगण को तत्काल रिहा किया जाए।

25. विचारण न्यायालय की पत्रावली को इस निर्णय की प्रति सहित कार्यालय द्वारा आवश्यक जानकारी और तत्काल अनुपालन के लिए वापस कर दें।

(विनय कुमार द्विवेदी, न्यायमूर्ति) (सलिल कुमार राय, न्यायमूर्ति)

13 फ़रवरी, 2026

शुभम

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"